दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0) (154)

R. 5259-दो/15

1. मुस0 भूरी बेवा रामसुजान उम्र 65 वर्ष

2. शिवहारी तनय रामेश्वर नारायण शुक्ला उम्र 20 वर्ष दोनों निवासी ग्राम देवरी तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 ---**निगरानीकर्तागण/आवेदकगण**

बनाम

1. उदयभान पिता जनार्दन प्रसाद शुक्ला उम्र 38 वर्ष

2. रामसखी बेवा जनार्दन प्रसाद उम्र 60 वर्ष दोनों निवासी ग्राम देवरी तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 --**गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण**

आवेदक गण की ओर से श्री भानुप्रताप सिंह एड. द्वारा पेश। 28.12.15

28.12.15
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय एवं आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त भदनपुर तहसील मैहर वृत्त बदेरा जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ-12/2015-15 मे पारित आदेश दिनांक 21.08.15 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.15 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि अनावेदक आराजी नं-255 स्थित ग्राम देवरी के भूमिस्वामी है एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5259—दो / 15 जिला—सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20—06—17	आवेदक के अधिवक्ता श्री भानू प्रताप सिंह द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त भदनपु तहसील मैहर वृत्त बदेरा जिला सतना का प्रकरण कमांक 14 / अ—12 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 21.8.2015 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी के साथ धारा—5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2—आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 4 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा—5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	